भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2174

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है

रैट-होल खनन के कारण मौतें

2174. श्री गौरव गोगोईः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को असम के दीमा हसाओ में 6 जनवरी, 2025 को हुई दुखद घटना की जानकारी है, जहां अवैध रैट-होल कोयला खान के ढह जाने से फंसने के कारण 10 खनिकों की मृत्यु हो गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा 2014 में असम में रैट-होल खनन पर लगाए गए प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान असम में अवैध खनन की कितनी घटनाएं सामने आई हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : असम सरकार ने सूचित किया है कि दिनांक 06-01-2025 को उमरंगसो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत असम क्वारी, कालामाटी के ब्लॉक सं. 19 में एक दुखद रैट-होल खान दुर्घटना हुई थी जब एक कोयला खान से कुछ अनिर्दिष्ट श्रमिक कोयला निकाल रहे थे और अचानक खान में पानी प्रवेश कर गया और उसमें बाढ़ आ गई। कुछ मजदूर ऑनसाइट क्रेन का उपयोग करके भागने में सफल रहे, हालांकि, 9 (नौ) मजदूर बाढ़ ग्रस्त खान के अंदर फंस गए थे। केन्द्र और राज्य एजेंसियों के 44 दिनों के निरंतर संयुक्त बचाव कार्यों के बाद सभी मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनके शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं।

(ख) : असम में रैट-होल खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा 2014 में लगाए गए प्रतिबंध के बाद और उमरंगसो, दीमा हसाओ में दुखद खनन दुर्घटना के बाद, असम सरकार ने

मंत्रिमंडल का निर्णय लिया है और सभी अवैध रैट-होल खानों को बंद करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है। अब तक 245 अवैध रैट-होल खानों को सील किया गया है।

(ग) : असम सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अवैध गतिविधियों की दो घटनाओं की सूचना दी है। एक घटना तिनसुकिया जिले के नामडांग कोल ग्रांट के अंतर्गत टिकाक वेस्ट माइनिंग में हुई थी, जो खान वर्तमान में कार्यरत नहीं है, जिसमें रेट होल खनन में चोरी करते हुए 3 (तीन) खनिकों की मृत्यु हो गई थी। दूसरी घटना दीमा दासाओ जिले के ऊमरांग्शु के कालामाटी क्षेत्र में हुई, जिसमें अवैध रेट-होल खनन कार्यों के दौरान 9 (नौ) खनिकों की मौत हो गई। दोनों घटनाओं की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई थी और अवैध खनन गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज कराई गई थी।

*****